संख्या–1841/71–4–2020–एन–4/2017टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2020

विषयः– दशमेश चैरिटेबिल हास्पिटल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित वन बीट कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, सन्त गृह नगर, भीरा, लखीमपुर खीरी में बैचलर ऑफ साइंस–नर्सिंग (बी0एससी0–नर्सिंग) प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4130/20, दिनांक 30.09.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त दशमेश चैरिटेबिल हास्पिटल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित वन बीट कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, सन्त गृह नगर, भीरा, लखीमपुर खीरी में बैचलर ऑफ साइंस–नर्सिंग (बी0एससी0–नर्सिंग) प्रशिक्षण कोर्स में 40 सीट प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान की जाती हैः–

1. संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जायेगी।
2. इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट अनुमन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एवं चयन प्रकिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–4447/71–3–05–141/05 दिनांक 14.10.2005 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 24.01.2006, 15.01.2007 तथा 23.01.2008 में निहित प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा बैंक गारण्टी की अवधि को दिनांक 31.12.2025 तक के लिए विस्तारित कराकर इसकी सूचना उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त कार्यवाही दिनांक 21.12.2020 तक पूर्ण कर ली जाएगी।
6. संस्था द्वारा अपने चिकित्सालय के पंजीकरण का नवीनीकरण दिनांक 31.12.2020 तक तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण व अग्निशमन विभाग से निर्गत प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराकर ही संस्था का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा।
7. उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा एक नीति बनाकर मानकों के अनुपालन हेतु संस्था का निरीक्षण कराया जायेगा। संस्था द्वारा राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/संबंधित विश्वविद्यालय के किसी भी दिशा–निर्देशों/मानकों का उल्लंघन करने पर संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1841(1)/71–4–2020–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलसचिव सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संस्था।
4. प्रबन्धक, दशमेश चैरिटेबिल हास्पिटल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित वन बीट कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, सन्त गृह नगर, भीरा, लखीमपुर खीरी द्वारा सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौन्सिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 6319/20 दिनांक 18/12/2020

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,
वन बीट कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेस,
सन्त गृह नगर, भीरा, लखीमपुर खीरी

विषय–बी.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 40 सीट हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1841/71–4–2020–एन–4/2017 टी0सी0 दि0 20 नवम्बर, 2020 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार पर बैचलर ऑफ साइंस–नर्सिंग (बी0एससी0–नर्सिंग) की 40 सीट का प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि नर्सिंग कौंसिल को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत भी संस्थान का निरीक्षण कराया जा सकता है।

अतः दशमेश चैरिटेबिल हास्पिटल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित वन बीट कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, सन्त गृह नगर, भीरा, लखीमपुर खीरी के प्रशिक्षण केन्द्र में 40 सीट प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के बी0एससी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अपने संस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए श्री अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रति वर्ष सम्बद्धता शुल्क के रूप में रूपया 35,000/– (पैतीस हजार रूपया) इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

पत्र संख्या– दिनॉक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

L. No364/N-015/Nursing/ABVMU/2021 Date 13-02-2021

Letter of Consent

As per the approval of the Hon'ble Vice Chancellor dated 13-02-2021, the **Principal, One Beat College of Medical Sciences, Lakhimpur** is hereby issued a letter of consent to start **B.Sc. (Nursing)** course with annual intake of 40 **(Forty)** seats for the academic session 2020-21 with Atal Bihari Vajpayee Medical University U.P. Lucknow, subject to conformity of all terms and conditions as per the provisions of the University Act No.42 of 2018 and existing rules made by the Indian Nursing Council, U.P. Government and the State Medical Faculty U.P. The letter does not guaranty affiliation of the College/Institute which would be determined by the University from time to time.

This Letter of Consent is valid for processing of the application to affiliate the College/Institute for three years from the date of issue of this letter.

(Anil Kumar Singh)
Registrar